प्रेषक,

संख्या– /XX–4/2018–1(43)/2018

उदयवीर सिंह यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विषय–राज्य की कारागारों में ई–प्रिजन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–991/XX–4/2018–1(43)/2018, दिनांक 11.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य की कारागारों में ई–प्रिजन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में लेखाशीर्षक 2056–जेलें–101–जेलें–01– केन्द्र सहायतित योजना–0101–ई प्रिजन योजना के मानक मद 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 53.00 लाख (रू0 तरेपन लाख मात्र) की स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आपके पत्रांक–मेमो/ई0प्रिजन/2018–19, दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रकरण में रू0 131.17 लाख की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की कारागारों में ई–प्रिजन के क्रियान्वयन हेतु कुल रू0 131.17 लाख की स्वीकृति वर्णित शासनादेश दिनांक 11.06.2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. ई–प्रिजन योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित तकनीकी स्पेशीफिकेशन के सम्बन्ध में तकनीकी समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. ई–प्रिजन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि रू0 21.17 लाख की प्राप्ति भारत सरकार से सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग सहमति एवं उनके अ0शा0 संख्या–119 मतदेय/ XXVII(5)/2018, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव

संख्या–1171/XX–4/2018–1(43)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव